सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 186/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–02.09.2024

GCMS ID–2024/287

1. सुरेश कुमार आ0 दुर्गालाल जाति मीणा निवासी मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 30/06/2025

## निर्णय

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 246 पुराना 222 की भूमि खसरा संख्या 434, 686/501 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीकला में विरिथत है, जो प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि खाता संख्या नया 41 पुराना 51 की भूमि खसरा संख्या 130, 138, 144, 147, 150, 226, 230, 488 कुल किता 9 कुल रकबा 1.8695 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 85 पुराना 63 की भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.0324 गै0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0324 हैक्टैयर व भूमि खाता संख्या नया 86 पुराना 64 की भूमि खसरा संख्या 134, 139, 140, 141, 142, 148 कुल किता 6 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 140 पुराना 109 की भूमि खसरा संख्या 484, 485, 486, 491, 492, 495, 496/524, 498 कुल किता 8 कुल रकबा 1.7482 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 40 पुराना 49 की भूमि खसरा संख्या 227, 231, 54 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7446 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगली कला में विरिथिति है, जो प्रार्थी की सामलाती खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी को बाल्यकाल में घर पर प्रार्थी को गोपाल के नाम से जाना व पहचाना जाता था और घर पर गोपाल के नाम से ही पुकारा जाता था, इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

जॉच किये बिना राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 777 दिनांक 20.05.2014 खालते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाल के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार मीणा है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेज में दर्ज है, इसलिए पटवारी द्वारा खोला गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजता आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार मीणा दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाल दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार मीणा है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी सुरेश कुमार मीणा ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर गोपाल के स्थान पर सुरेश कुमार मीणा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 02.08.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम गोपाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सुरेश कुमार मीणा दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम सुरेश कुमार मीणा दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या खाता संख्या नया 246 पुराना 222 की भूमि खसरा संख्या 434, 686/501 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीकला में विरिथत है, जो प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि खाता संख्या नया 41 पुराना 51 की भूमि खसरा संख्या 130, 138, 144, 147, 150, 226, 230, 488 कुल किता 9 कुल रकबा 1.8695 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 85 पुराना 63 की भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.0324 गै0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0324 हैक्टैयर व भूमि खाता संख्या नया 86 पुराना 64 की भूमि खसरा संख्या 134, 139, 140, 141, 142, 148 कुल किता 6 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 140 पुराना 109 की भूमि खसरा संख्या 484, 485, 486, 491, 492, 495, 496/524, 498 कुल किता 8 कुल रकबा 1.7482 हैक्टेयर व भूमि खाता

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

संख्या नया 40 पुराना 49 की भूमि खसरा संख्या 227, 231, 54 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7446 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगली कला के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर सुरेश कुमार मीणा दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व / 24 / 868 दिनांक :–23.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मांगलीकला के खाता संख्या 246, 41, 85, 86, 140, 40 में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र दुर्गालाल दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बरों में दर्ज गोपाल पुत्र दुर्गालाल व सुरेश कुमार पुत्र दुर्गालाल एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज गोपाल पुत्र दुर्गालाल के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार पुत्र दुर्गालाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार पुत्र दुर्गालाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, जाति प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र दुर्गालाल दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone No. 7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला के खाता संख्या 246, 41, 85, 86, 140, 40 में दर्ज गोपाल पुत्र दुर्गालाल के स्थान प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार पुत्र दुर्गालाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस.
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446